<u>अति आवश्यक</u>

प्रेषक,

विकास सक्सेना–I,
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2,
हाथरस।

प्रापक,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0, हाथरस।

पत्राँकः 689 /XV–सिविल हाथरसः दिनाँकः अप्रैल 29 , 2016

विषयः **<u>जनपद न्यायालय, हाथरस में मुंसिफी परिसर से लगी भूमि को चाय कैन्टीन के ठेके पर उठाये जाने की सूचना एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।</u>**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016–2017 में राजस्व की वसूली हेतु जनपद न्यायालय परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन हेतु वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। नीलामी हेतु 14.05.2016 दिन बृहस्पतिवार को सायं 4:00 बजे स्थान जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस नियत किया गया है। जिसके व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु नीलामी की सूचना, एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।

इस क्रम में नीलामी से सम्बन्धित सूचना इस आशय से आपको प्रेषित की जा रही हैं कि आप चाय कैन्टीन के ठेके की नीलामी की सूचना, व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट **www.hathras.nic.in** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

29/04/16.

(विकास सक्सेना–I)
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2,
हाथरस।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेके की नीलामी हेतु दिनाँक 14.05.2016 दिन बृहस्पतिवार को सायं 4:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी की समस्त शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी के लिये केन्द्रीय नाज़िर से जानकारी ली जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू0 20,000/– (बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
04. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
05. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा।
06. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
08. ठेकेदारों को नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, यदि उसके द्वारा ठेके की शर्तों का पालन न करते हुये समस्त धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर नीलामी की कार्यवाही पुनः की जायेगी।
09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अन्डरटेकिंग देनी होगी।

(विकास सक्सेना–I)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

29/04/16

अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, हाथरस।

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु दिनाँक 14.05.2016 दिन बृहस्पतिवार समय सायं 4:00 बजे नियत है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाज़िर से प्राप्त की जा सकती है।

29/04/16

(विकास सक्सेना–I)
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2,
हाथरस।